राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 241वीं बैठक दिनांक 19.02.2020 को मध्यान्ह पश्चात् 04.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री हेमन्त गेरा द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्रीमती रेखा भास्कर	वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी
2	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
3	श्रीमती कश्मी कौर रॉन	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवासन मण्डल
4	श्रीमती प्रभा व्यास	सम्पदा प्रबन्धक(भूमि)
5	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
6	श्री मनोज गुप्ता	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
7	श्री अनिल माथुर	वरि. नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल
8	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
241.01	दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 240वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 240वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
241.02	दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 240वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 241वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
241.03	श्री दिनेश सिंघल पुत्र श्री सुगन लाल सिंघल नीलामी दिनांक 23.05.2018 में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 267/616 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की बकाया राशि के क्रम में।	प्रस्तावानुसार श्री दिनेश सिंघल पुत्र श्री सुगन लाल सिंघल से नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी राशि वसूलते हुए मांग राशि जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM

241.04	श्री चम्पालाल को कमला नेहरु नगर, पाली में आवंटित आवास संख्या 3/328 के निरस्त आवंटन को बहाल करने एवं तत्पश्चात श्रीमति रजनी आडवानी के नाम नियमितिकरण करने बाबत्।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान स्पष्ट किया गया कि सम्पूर्ण देय राशि एक मुश्त लीज सहित मंडल में जमा है, अतः श्री चम्पालाल को कमला नेहरु नगर, पाली में आवंटित आवास संख्या 3/328 के निरस्त आवंटन को बहाल करने एवं तत्पश्चात श्रीमति रजनी आडवानी के नाम नियमितिकरण करने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
241.05	मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्थित पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि को नीलामी एवं व्यक्तिशः सार्वजनिक आयॅल कम्पनियों के अधिकृत पम्प एवं पेट्रोल पम्प डीलर लाईसेन्सी को नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने के संबंध में।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्थित पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि को पेट्रोल पम्प डीलर के व्यक्तिशः आवेदकों को नीलामी के माध्यम से विक्रय/आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कम्पनी स्वयं का पंप (पेट्रोल/डीज़ल/एल.पी.जी.गैस/विद्युत, इत्यादि) CO CO लगाने के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन चाहती है तो उसे सीधे ही (राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार) प्रश्नगत भूमि की आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन किया जा सकेगा।	CEM
241.06	संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं बजट अनुमान 2020–21 के प्रस्ताव मण्डल की आगामी बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल से अनुमोदन कराने बाबत एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं बजट अनुमान 2020–21 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	FA
241.07	वी.टी. रोड पर कॉमर्शियल बैल्ट–बी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिटी पार्क विकसित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार वी.टी. रोड पर कॉमर्शियल बैल्ट–बी में सिटी पार्क विकसित करने का अनुमोदन किया गया तथा डीपीआर/कार्ययोजना तैयार कर विकास कार्य प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया गया। इस सिटी पार्क के निर्माण के लिए समय–समय पर विभागीय मंत्री महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सार्वजनिक मंचों से घोषणा की गई है, लिहाजा इस निर्णय की पुष्टि लिखित रूप में भी राज्य सरकार से करवाने का निर्णय लिया गया।	ACTP
241.08	मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण के नकद मुआवजा राशि के बदले दिये जाने वाले 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्डों के संबंध में नियमों के सरलीकरण बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण के नकद मुआवजा राशि के बदले दिये जाने वाले 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्डों के संबंध में नियमों के सरलीकरण किये जाने का मंडल स्तर पर अनुमोदन किया गया एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	LAO
241.09	स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को	प्रस्तावानुसार स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले	Secretary

	प्रशस्ति पत्र दिये जाने के संबंध में।	कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस पुरस्कार का नाम मंडल के संस्थापक अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री द्वारका दास पुरोहित के नाम पर "द्वारका दास पुरोहित योग्यता प्रमाण पत्र" किये जाने का निर्णय लिया गया।	
241.10	Revised A&F for Cosnt. of MIG-A-128 (G+3) flats Sect-8, KBS, Jodhpur, executed by M/s Jeet Const. Co. & M/s C.D. Const.Co.	प्रस्तावानुसार रु.1145.91 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय धनराशि की स्वीकृति की अनुशंसा एवं कार्यवार राशि रु.573.20+572.71=1145.91 लाख के कार्य विभाजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	CE-II
	अन्य विचार बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
241.11	राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग के बहुमंजिले फ्लेट्स की निर्माण योजना की क्रियान्विति एवं केवल उक्त पंजीकरण योजना हेतु मण्डल के लागत सिद्धान्तों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर ODC को शून्य एवं प्रशासनिक शुल्क को 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत लिये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
241.12	मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, आवासीय योजना के व्यास अपार्टमेन्ट, सेक्टर–11 एवं सरस्वती अपार्टमेन्ट, सेकटर–18 में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों को प्रथम बार निर्वाचित वर्तमान विधायकों के लिए प्रस्तावित फ्लैटो की आरक्षित लागत में 60 प्रतिशत छूट अर्थात् अन्य सभी व्ययों सहित कुल देय राशि 25,00,000/–से अधिक न हो का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव में उल्लेखित 60 प्रतिशत वांछित छूट वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित छूट से अधिक है, अतः प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	CEM
241.13	स्वर्ण जयन्ती समारोह दिनांक 23.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित शिलान्यास/शुभारम्भ / घोषणा।	प्रस्तावानुसार निम्नांकित 12 बिन्दुओं का अनुमोदन करते हुये इनसे संबंधित शिलान्यास/शुभारम्भ/घोषणा दिनांक 23.02.2020 को स्वर्ण जयन्ती के राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करवाये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. जोधपुर चौपाटी, जोधपुर का शिलान्यास । 2. महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना,	CE(HQ)

		बडली, जोधपुर का शुभारम्भ । 3. जोधपुर की आवासीय योजनाओं में विकास कार्यों का शिलान्यास । 4. कोटा चौपाटी, कोटा का शिलान्यास 5. मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी आवासीय योजना, जयपुर का शुभारम्भ 6. प्रताप नगर, जयपुर में सामुदायिक केन्द्र का शिलान्यास 7. प्रताप नगर, जयपुर में आयुष मार्केट का शुभारम्भ 8. दस्तकार आवासीय योजना, नायला, जयपुर में रिक्रियेशनल कार्यों का शिलान्यास 9. इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर में एसटीपी निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास 10. 50 ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा 11. सरकारी कर्मचारियों को किश्तों पर मकान की उपलब्ध कराने की घोषणा 12. सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर का शिलान्यास।	

बैठक में चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर में मुख्यमंत्री प्रहरी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवासों की संख्या से कम आवेदन पत्र आने की स्थिति में योजना के पंजीयन की अवधि एक माह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विचार–विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि यदि बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् भी मुख्यमंत्री प्रहरी योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में शेष उपलब्ध आवास मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना के अंतर्गत आवेदकों को आवंटित किये जाये। इस संबंध में वॉछित कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रथम) द्वारा की जायेगी।

बैठक में हाल ही में मण्डल द्वारा प्रिमियम सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्तियों के सफलतापूर्वक बडी मात्रा में नीलाम किये जाने की चर्चा की गई एवं संतोष व्यक्त किया गया । इस दौरान चर्चा में यह बिन्दु लिया गया कि मण्डल की 240 वीं बैठक दिनांक 17.1.20 के बिन्दु संख्या 240.15 में न्यूनतम बिड मूल्य के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था परन्तु इस कम में जो आदेश कमांक सीआरओ/राआमं/2019–20/ पीएस–एफए/202 दिनांक 31.1.20 जारी किया गया है उसके अन्त में यह लिखा गया है :–

"उपरोक्तानुसार प्राप्त बिडों को वाणिज्यिक भूखण्डों की आरक्षित दर +15 प्रतिशत स्थानीय निकाय को देय राशि प्राप्त होने पर ही बिड स्वीकृत की जायेगी । "

जबकि बोर्ड की 240 वीं बैठक के दौरान राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में जारी हुए आदेश दिनांक 7.1.20 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था एवं राज्य सरकार के परिपत्र में अंकित निम्नाकिंत निर्देश :–

"अतः निर्देश दिया जाता है कि न्यूनतम बोली से अधिक बोली आने पर भूखण्ड की नीलामी को अस्वीकार नहीं किया जावें ।" के अनुरूप मण्डल में भी नवीन फार्मूले से निर्धारित की गई एम बी पी से अधिक की बोली की दर आने पर उस नीलामी को अस्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु त्रुटिवश मण्डल के आदेश दिनांक 31.1.20 में इस अनुरूप अंकन नहीं किया गया । अतः यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7.1.20 के अनुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जावे तथा न्यूनतम नीलामी दर से अधिक बोली प्राप्त होने पर गुण अवगुण के आधार पर बोली स्वीकृत की जावे एवं इसमें आरक्षित दर +15 प्रतिशत से अधिक दर आने पर ही नीलामी स्वीकृत किये जाने की शर्त को विलोपित किया जावे । इस अनुरूप संशोधन आदेश जारी किये जावे ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव